देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 508 /भू अ० दिनांक : 30/5/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—फुलडोभा, थाना—सारठ, थाना सं०—262, अंचल—सारठ, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)—छतरा—बगडबरा—कोल्हड़िया—सोनारायडीह (एम०डी०आर०—224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—फुलडोभा, थाना—सारठ, थाना सं०—262, अंचल—सारठ, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.38** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	7	रैयती	बाड़ी 2	0.015	मु० जीतनी कहारीन जौजे खुदु रवानी, सा० सबेजोर। (ज०रै)	भात हड़िया नं० 269	पिण्डरी नं० 263	अर्जित खेसरा का शेष भाग	हरीपुर नं० 260
2	1	4	रैयती	बाड़ी 2	0.02	तथैव।				
3	1	6	रैयती	बाड़ी 2	0.02	मोहर रवानी वो लखन रवानी वो हरी रवानी पे० अमरीत रवानी (जमा० रैयत)				
4	1	5	रैयती	बाड़ी 2	0.08	जमा० रैयत धानु रवानी वो कीनू रवानी पे० गोपाल रवानी वो पाडु रवानी पे० भातु रवानी वो इशरी रवानी वो डहरू रवानी पे० मंगरू रवानी वो कंजु रवानी पे० दरवारी रवानी वो भोथरी रवानी पे० मोना रवानी वो अन्तु रवानी, पे० मडु रवानी वो हुरो रवानी पे० झगरू रवानी। सा० देह				
5	1	2	रैयती	बाड़ी 2	0.02	अन्तु रवानी वल्द मडु रवानी, कौम—कहार। सा० सबैजोर। (ज०रै०)				
6	2	117	रैयती	बाड़ी 2	0.025	बहादुर महतो पे० नुनलाल महतो वो नीमा महतो पे० शुकर महतो वो गुलाम महतो, पे० जीयन महतो वो अकलू महतो पे० खुदू महतो वो तिला देवी वो पुसीया देवी पे० झकसू महतो, सा० देह।				
7	2	132	रैयती	बाड़ी 2	0.02	तथैव।				
8	5	126	रैयती	बाड़ी 2	0.05	मडु महतो वो मंगरू महतो, पे० किशन महतो, सा० देह।				
9	5	127	रैयती	बाड़ी 2	0.02	जितनारायण महतो वो बद्री महतो, पे० राधे महतो वो कांशी महतो पे० काली महतो वो बालेश्वर महतो पे० मधु महतो वो कलेक्टर महतो वो सुरेश महतो पे० विदेशी महतो वो				

						मोती महतो पे० पुसन महतो वो फुलचन्द महतो वल्द भुपत महतो, ज० रै० कौम सा० देह।				
10	7	118	रैयती	धानी 3	0.01	जगरनाथ महतो पे० पेतराम महतो वो नुनकेश्वर महतो वो रामेश्वर यादव पे० रवि महतो वो महावीर महतो वल्द भगत महतो ज०रै० वो कटकी महतो वल्द जीतु महतो, ज० रै० सा० देह।				
11	7	119	रैयती	बाड़ी 1	0.01	नरेश महतो वो सुरेश महतो वो चन्द्र किशोर महतो पे० मनभरन महतो वो चन्दमुले महतो वो निते महतो पे० मसुदन महतो वो महावीर महतो वल्द भगत महतो ज० रै० सा० देह।				
12	7	172	रैयती	बाड़ी 1	0.01	मिसपति यादव पे० दुवराज महतो वो महावीर महतो वल्द भगत महतो, सा० देह।				
13	7	124	रैयती	बाडी 1	0.01	तथैव।				
14	7	123	रैयती	बाड़ी 1	0.01	नागो महतो पे० भांगी महतो वो भीम यादव, पे० खेलु महतो सा० देह				
15	10	130	रैयती	बाड़ी 2	0.06	भगीआ महतवाईन जौजे हुरो महतो, कौम ग्वाला सा० देह (ज० रै०)				
				कुल रकवा–	**0.38**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

ज्ञापांक 508 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/5/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।